चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 13.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर

शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 13.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 13.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । परेड निरीक्षण के दौरान अधि0/कर्मचारीगण का टर्न आउट चैक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं आवश्यक सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया । इस दौरान क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री फहद अली,प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

(4). आज दिनाँक-13.09.2024 को पुलिस लाइन चित्रकूट में पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र श्री अजय कुमार सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह की उपस्थिति में 27वीं अन्तर जनपदीय प्रयागराज जोन, प्रयागराज पुलिस एलार्म इफीशियन्सी रेस एवं रायफल/रिवाल्वर शूटिंग प्रतियोगिता वर्ष 2024 का रिबन काटकर शुभारम्भ किया गया । सर्वप्रथम सभी टीमों के खिलाडियों द्वारा बेहतरीन मार्च पास्ट करते हुये पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय को सलामी दी गयी । इस प्रतियोगिता में प्रयागराज जोन के सभी जनपदों की टीमों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है । महोदय द्वारा जनपदों से आयी टीमों के कैप्टन से परिचय लिया गया । यह प्रतियोगिता आज दिनाँक 13.09.2024 से दिनाँक 15.09.2024 तक चलेगी ।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय,क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन श्री फहद अली ,प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

(5). आज दिनांक 13.09.2024 को पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र श्री अजय कुमार सिंह द्वारा माननीय मऊ-मानिकपुर विधायक श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी, माननीय विधायक कर्वी चित्रकूट श्री अनिल प्रधान एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की गरियामयी उपस्थिति में धनुष चौराहा शहर कर्वी में विधायक निधि,यातायात प्रबंधन निधि एवं जनसहयोग से निर्मित यातायात एवं सुरक्षा कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया।

इस कमांड सेण्टर की स्थापना में माननीय विधायक कर्वी चित्रकूट ने 25 लाख रुपये एवं मऊ मानिकपुर ने 20 लाख रुपये दिए है इसके अतिरिक्त यातायात एवं जनसहयोग की भूमिका भी इस सेण्टर की स्थापना में महत्वपूर्ण रही। विधायक निधि का अभी 75% ही सदुपयोग हुआ है। इस सेंटर में बैठकर CCTV कैमरों के माध्यम से जनपद के मुख्यालय से लेकर दूरस्थ बरगढ़,मऊ,मानिकपुर,राजापुर एवं सरधुवा आदि के चौराहों पर सतर्क दृष्टि रखी जायेगी। कही भी जाम,दुर्घटना या घटना की जानकारी इन कैमरों के माध्यम से होने पर तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से स्थानीय थाने की पुलिस भेजकर समाधान कराया जायेगा। इन कैमरों के माध्यम से अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी। घटनाओं के अनावरण में सहायता मिलेगी और माननीय न्यायालयो में वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सुविधा होगी।

इस उद्घाटन समारोह में आए सभी जनप्रतिनिधियों ने तथा जनता के संभ्रांत व्यक्तियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन दृष्टि में अपनी अपनी सहभागिता के माध्यम से सहयोग करने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर माननीय विधायक कर्वी श्री अनिल प्रधान, माननीय मऊ-मानिकपुर विधायक श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी, मान0 जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक जाटव,अध्यक्ष नगर पालिका कर्वी श्री नरेंद्र गुप्ता, जिला कॉपरेटिव बैंक अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री लवकुश चतुर्वेदी, सम्मानित पत्रकारबन्धु, पुलिस अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह,पुलिस उपाधीक्षक(प्रशिक्षणाधीन) श्री फहद अली,प्रभारी यातायात श्री शैलेन्द्र सिंह न अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

अभ्यागत अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया।

कमांड सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किए जाने के बाद जनप्रतिनिधियों अधिकारियों एवं मीडिया के साथियों ने कमांड सेंटर से ही जनपद के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के चौराहों पर यातायात व्यवस्था का लाइव प्रसारण भी देखा और भूरी-भूरी प्रसंशा की।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी वेदांत तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 151/2022 धारा 498ए,304(B),323 भादवि0 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त दशरथ उर्फ लरकू पुत्र चिंता निषाद निवासी बरछा कॉलेज के पीछे बदौसा जनपद बांदा को 10 वर्ष कारावास व 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है वादिया चंपा देवी पत्नी मैयादीन निवासी नावघाट जानकीपुरी कर्वी द्वारा धारा 156(3) माननीय न्यायालय के आदेश से कोतवाली कर्वी में अभियोग पंजीकृत कराया कि उनकी पुत्री मीरा को ससुरलीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग करना व प्रताड़ित कर पौधे में डालने वाली दवा पिला दी जिससे पुत्री की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दिनाँक 24.04.2022 को घटना के सम्बन्ध में कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 151/2022 धारा 498ए,304(B),323,506 भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम बनाम दशरथ उर्फ लरकू पुत्र चिंता निषाद पंजीकृत किया गया था।मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पांडेय द्वारा संपादित की गयी। विवेचक द्वारा दिनांक 07.08.2022 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनाँक 23.10.2022 को अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी वेदांत तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस

मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 709/2019 धारा 498ए,304(B),316भादवि0 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त 1.योगेंद्र कुमार पुत्र सीताराम को 20 वर्ष का कारावास 2.सीताराम पुत्र बच्चीलाल 3.शीला पत्नी सीताराम निवासीगण पुनिया थाना खरैला जनपद महोबा को 10-10 वर्ष कारावास व सभी अभियुक्तों 17000 रुपए का अर्थदंड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है वादी कृष्णा ने कोतवाली कर्वी में सूचना दी कि उनकी पुत्री गुड़िया को ससुरलीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग कर प्रताड़ित करना व पुत्री को दिनांक 26.09.2019 को हत्या कर पंखे से लटका देना। सूचना पर में दिनाँक 30.09.2019 को घटना के सम्बन्ध में कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 709/2019 धारा 498ए,304(B),316,302/34 भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम बनाम 1.योगेंद्र कुमार पुत्र सीताराम 2.सीताराम पुत्र बच्चीलाल 3. शीला पत्नी सीताराम पंजीकृत किया गया था।मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री रजनीश यादव द्वारा संपादित की गयी। विवेचक द्वारा दिनाँक 12.05.2020 को अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(8). आज दिनाँक 13.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह की उपस्थिति में थाना मऊ परिसर में कुंभ मेला के दृष्टिगत नवनिर्मित अस्पताल का निरीक्षण कर सर्किल मऊ के समस्त थानों के विवेचको का अर्दली रूम किया गया। महोदय द्वारा अर्दली रुम के समस्त विवेचकों से लंबित विवेचना पर विस्तारपूर्वक वार्ता करते हुए विवेचना लंबित रखने का कारण पूछकर गुण दोष एवं वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर विवेचना कों शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।

अर्दली रूम के दौरान प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय,प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह,प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री शिवआसरे एवं समस्त विवेचकगण उपस्थित रहें।

(9). आज दिनाँक 13.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा थाना पहाड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा आरक्षी बैरक,भोजनालय, नवनिर्मित भवन एवं आवासीय परिसर का भ्रमण कर प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी को थाना परिसर की साफ-सफाई सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तत्पश्चात महोदय द्वारा थाना रैपुरा एवं थाना पहाड़ी के विवेचनों का अर्दली रूम किया। अर्दली रूम में महोदय द्वारा समस्त विवेचकों से अधिक लंबित विवेचना पर

विस्तारपूर्वक वार्ता करते हुए विवेचना लंबित रखने का कारण पूछकर गुण दोष के आधार पर विवेचना के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।